

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 44/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/50)



1. मांगेराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण पुत्र अमर सिंह जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र हरचन्द जाति जाट साकिन संवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

रेस्पोडेंट्स

- उपस्थित:
1. श्री विजय कुमार पारीक - अभिभाषक अपीलान्ट्स
  2. श्री हरिराम बिश्नोई - अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1
  3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली - राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 21.05.2024

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर अपील सं. 41/2016 के निर्णय दिनांक 08.05.2018 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामस्वरूप ने इन्तकाल सं. 592 दिनांक 29.10.2009 रोही मौजा 10 जेएसएल के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर में अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को निरस्त फरमाने का निवेदन किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.05.2018 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार को आदेश दिए कि अगर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदि ना हो तो वे अपने निर्णय दिनांक 21.04.2014 अनुसार इन्तकाल खारिज कर पुनः जायज वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट मांगेराम वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर नोहर का आदेश दिनांक 08.05.2018 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। आदेश दिनांक 24.01.2024

द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर रैस्पोजेन्ट संख्या 2 ता 25 का नाम अपील से हटाये (Delete) जाने के आदेश दिये गये है।



4. अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपील भीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि रोही मौजा चक 11 जे.जी. डब्ल्यू 2.024 हैक्टर में 1/8 हिस्सा व चक 10 जे. एस.एल. की 2.530 हैक्टर मे 1/8 हिस्सा व चक 6 जे. एम.एल. की 0.506 हैक्टर मे 1/8 हिस्सा व जे.जी डब्ल्यू की 25.806 में 255 हिस्सा भूमि खातेदार गुगन राम पुत्र पेमाराम जाट की थी। गुगनराम लाऔलाद, कुवारा फौत हुआ था, अपीलान्ट द्वारा उसकी सेवा चाकरी की गई, गुगनराम द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी गई। गुगनराम की मृत्यु दिनांक 11.11.2005 को हो गई। संक्षम न्यायालय के दावे का निर्णय भी अपीलान्ट्स के पक्ष में हो चुका था एवं जरिये वसीयत इन्तकाल का आदेश दिनांक 01.07.2009 को तहसीलदार भादरा द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष में आदेश पारित कर दिया था। अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा काशत है एवं राजस्व जमाबन्दी में खातेदार दर्ज है। रैस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना अधिकार के व बिना हक के दिनांक 01.07.2009 तहसीलदार भादरा के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष मृतक पप्पू ने पेश की थी। जिसका अपील नं. 41/11 था अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2013 को इन्तकाल आदेश निरस्त कर अपील रिमाण्ड कर दी। इस निर्णय के विरुद्ध दो वर्ष पश्चात् रैस्पोजेन्ट ने आदेश की पालना में दर्ज इन्तकाल के विरुद्ध पुनः नियम विरुद्ध अपील पेश की। चार अलग-अलग इन्तकाल भरे गये थे जो मात्र एग्जीक्यूशन थे। जब मूल आदेश इन्तकाल निरस्त हो चुका था तो अपीलाधीन न्यायालय द्वारा पुनः उन्ही पक्षकारान उसी भूमि बाबत फिर भी अपील दर्ज करके क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश पारित किया है। अपील आदेश के विरुद्ध पेश होती है, उसकी पालना में भरे इन्तकाल के विरुद्ध अपील पेश नहीं होती है। एग्जीक्यूशन की अपील पेश नहीं होती है, अगर कोई दुरुस्ती करवानी थी तो तहसीलदार द्वारा की जा सकती थी या सैक्शन 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रक्रिया अपना सकते थे। बिना



प्रावधान के गलत अपील लेकर अपील का निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। प्रथम अपील मियाद बाहर थी, मियाद के बिन्दू का अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निस्तारण ही नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.05.2018 निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2008 पेज 755, RRD 1993 पेज 81, RRD 1985 पेज 115, RRD 1994 पेज 703, RRD 1993 पेज 232, RAJASTHAN REVENUE COURTS MANUAL का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर पेश की गई है, निर्णय दिनांक 08.05.2018 की जानकारी चार वर्षों तक न होना मनगढन्त कहानी है। मियाद के प्रार्थना पत्र में वर्णित तमात तथ्य मिथ्या, गलत व कोर्ट को गुमराह करने के उद्देश्य से वर्णित किया गया है। कब न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए नकल प्रार्थना पत्र पेश किया, कब नकल जारी हुई प्रार्थना पत्र में कोई हवाला नहीं दिया गया है। आधी-अधूरी जानकारी लिखकर मियाद कन्डोन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपीलान्ट मियाद कन्डोन के लिए स्वच्छ हाथों (clean hands)से नहीं आया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के यहा प्रस्तुत की गई अपील में जिसमें अपीलान्टगणों को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब करने पर इनकी ओर से एडवोकेट्स हाजिर अदालत आये, बहस सुनी जाकर दिनांक 08.05.2018 को निर्णय पारित किया गया। राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वकील की जानकारी पक्षकारों की जानकारी मानी जाती है। इस प्रकार चार वर्ष बाद यह कहना कि वकील द्वारा हमें जानकारी नहीं दी गई है, मनगढन्त कहानी मियाद कन्डोन के लिए बनाई गई है। मियाद के लिए प्रत्येक दिन की देरी का कारण बताया जाना आवश्यक है, अतः उक्त अपील में विधिवत रजिस्टर्ड तामील होने व अधिवक्ता नियुक्त करने के बाद बहस अधिवक्ताओं की उपस्थिति में निर्णय सुनवाये जाने के चार वर्ष बाद जानकारी न

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

होना बताकर गलत आधारों पर प्रस्तुत होने के कारण अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। हस्तगत प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा न्यायालय तहसीलदार भादरा के आदेश दिनांक 21.04.2014 अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित किए हैं। तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.04.2014 में वसीयत की जाने वाली भूमि को पैतृक भूमि बताया है न कि वसीयतकर्ता गुगनराम पुत्र पेमराम की स्वअर्जित भूमि। विधि में यह स्पष्ट है कि पैतृक भूमि की वसीयत किया जाना न्यायसंगत नहीं है। तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर वसीयत को प्रभाव शून्य करार दिया है। साथ ही वसीयत व बैयनामा इकरानामा की वैधता परखने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.05.2018 को पारित किया गया जबकि अपील दिनांक 25.07.2022 को दायर की गई। उक्त विलंब का कारण संक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 24.06.2022 को अपीलान्त को पत्र द्वारा सूचना होना बताया जो विलंब (डिले) ठोस, विश्वसनीय व SUFFICIENT CAUSE की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए यह अपील मियाद बिन्दु पर भी संधारण योग्य नहीं है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओ.पी.बिश्नोई)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर